रा. मु. अ. 33 4 -2000-10 लाख फा.

APP
Crll

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत ……… कलेक्टर ……… मुकाम बांदीकुई

हुकमचन्द ……… बनाम ……… अर्जुन

किस्म मुकदमा ……… नं० ……… सन ………

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25/09/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। वादपत्र पर बहस उभयपक्ष वकीलपर मनन किया गया। पत्रावली व तहसीलदार बांदीकुई से प्राप्त कुरेजात का अवलोकन किया गया। बहस उभयपक्ष वकीलपर मनन करने एवं पत्रावली व प्राप्त कुरेजात के अवलोकन के आधार पर वादी वाद दावा तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक् से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। अंतिम डिक्री जारी होकर पालना हेतु तहसीलदार बांदीकुई को तहरीर जारी हो। पत्रावली कुसलकुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] 25/9/25 उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)	

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपजिला कलक्टर एवं उपजिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई जिला दौसा

प्रकरण संख्या 193/2023
प्रकरण दायर दिनांक 11.12.2023
प्रकरण निर्णय दिनांक 25.09.2025

उनवान

1. हुकमचन्द अग्रवाल पुत्र किशोरीलाल अग्रवाल जाति महाजन निवासी लक्ष्मीनारायण जी मंदिर परिसर, लक्ष्मीनारायणपुरी कॉलोनी जयपुर।

:—वादी

बनाम

1. अर्जुन पुत्र भरत्या
2. गंगाबिशन पुत्र ईसरा
3. अमरसिंह पुत्र रामहेत
4. जगदीश पुत्र रामहेत
5. कुम्हेर पुत्र रामहेत
6. राजाराम पुत्र रामहेत
7. रामकिशन पुत्र भौरया
8. विजय सिंह पुत्र मेवाराम
9. हाकिम सिंह पुत्र मेवाराम

समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम नांगवास तहसील बांदीकुई जिला दौसा।

10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसवा, तहसील बसवा जिला दौसा।

:— प्रतिवादीगण

दावा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

प्रकरण निर्णय दिनांक 25.09.2025

वादी द्वारा विरूद्ध प्रतिवादीगण दावा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा जर्ये वकील श्री अमरसिंह गुर्जर के इस आशय से पेश किया कि ग्राम नांगवास पटवार अरनिया तहसील बांदीकुई जिला दौसा में भूमि काश्त स्थित खाता सं. नया 96 पुराना 81 के खसरा नं. 121 रकबा 0.02 हैक्टे, चाही 2 जाव 2, खसरा नं. 122 रकबा 0.23 हैक्टे. चाही 2 जाव 2, खसरा नं. 126 रकबा 0.19 हैक्टे, चाही 2 जाव 2, खसरा नं. 127 रकबा 0.21 हैक्टे. बारानी 1, खसरा नं, 134 रकबा 0.04 हैक्टे. बारानी 1, खसरा नं. 135 रकबा 0.29, हैक्चे बारानी 1. खसरा नं. 136 रकबा 0.15 हैक्टे. गै. मु.चाह, खसरा नं. 137. रकबा 0.08 हैक्टे. गै.मु. रास्ता, असरा नं. 139 रकबा 0.32 हैगरे. चाही 2 जाव 2,

खसरा नं. 140 रकबा 0.15 हैक्टे. चाही 2 आय 2. खसरा नं. 141 रकबा 0.15 हैक्टे. चाही 2 जाय 2. खसरा नं. 142 रकबा 0.22 हैक्टे, चाही 2 आय 2, खसरा नं. 143 रकबा 0.22 हैक्टे, बारानी 1, खसरा नं. 144 रकबा 0.41 हैक्टे. चाही 2 जाय 2, खसरा नं. 145 रकबा 0.09 हैक्टे. बारानी । कुल किता 15 कुल रकबा 2.95 हैक्टे लगानी 51 रूपये 00 पैसे स्थित है। जिसके वादी एवं प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार है। नकल जमाबंदी संवत 2073–76 पेश है वादी व प्रतिवादीगण आपसी सहमति व समझौते से अपने–अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा भूमि को काबिले काश्त कर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है, परन्तु अभी तक भूमि का पक्षकारान में विधिक बंटवारा नही हुआ है। वादी एवं प्रतिवादीगण भूमि वादग्रस्त भूमि पर काबिज काश्त हैं। वादी ने अपने हिस्से की भूमि पर पुख्ता मकान बनाकर तथा उसके चारो ओर पुख्ता बाउण्ड्रीवाल बनाकर उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है। प्रतिवादीगण, वादी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी करते है तथा प्राकृतिक उपज प्राप्त करने में भी व्यवधान उत्पन्न करते है एवं भूमि वादग्रस्त को बिना विधिक बंटवारा किये भूमि को बेचान करने पर आमादा है तथा वादी को शामलाती भूमि होने से भूमि का संपरिवर्तन कराने एवं अन्य सरकारी सहायता एवं भूमि के डवलपमेन्ट में असुविधा उत्पन्न हो रही है। प्रतिवादीगण झगडालू किस्म के व्यक्ति है जो येनकेन प्रकारेन वादी की शराफत का नाजायज फायदा उठाकर वादी को फसल बोने व काटने में व्यवधान उत्पन्न करते है। दिनांक 04.12.2023 को प्रतिवादीगण, वादी की कब्जे काश्त की भूमि पर आ गये तथा एलानियां कहा कि हम लाठी व पैसे वाले है तथा हम जबरन तुम्हे उक्त भूमि से बेदखल कर व कब्जा करके रहेगे तथा तुमको तुम्हारे हिस्से की भूमि पर बाउन्ड्री नहीं करने देगें वादी ने रोकने का प्रयास किया तो वादी को जिन्दा नही छोडेगे तथा वादी के परिवारजन के साथ में गाली गलोच व झगडा फिसाद करने लगे, वहां उपस्थित लोगों ने बड़ी मुश्किल से प्रतिवादीगण को समझाईस कर मामला शान्त कराया। प्रतिवादीगण जाते जाते एलानिया धमकी देकर गये है कि हम इस भूमि पर जबरन कब्जा करके दीगर व्यक्ति को बेचान करके रहेगे तथा बाउन्ड्री नहीं करने देगें। वादी ने भूमि मुतदाविया का विधिवत बंटवारा करने हेतु प्रतिवादीगण से तहसील में चलने के लिए कहा, तो प्रतिवादीगण इन्कार हो गये। वादी विधिक तकास्मा कराकर अपने हिस्से की मि पर शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करना चाहता है। इसलिये भूमि मुतदाविया का रस नस्स के अनुसार तकास्मा किया जाकर वादी का अलग चक अलग खाता तथा लग लगान कायम किया जाकर अलग अलग पासबुक जारी करवाने का वादी धेकारी है। इसलिये दावा बंटवारा पेश है। प्रतिवादीगण झगडालू किस्म के व्यक्ति है येन केन प्रकारेण वादी को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। यदि प्रतिवादीगण अपने उद्देश्य फल हो गये तो वादी को अपूर्णीय क्षति कारित होगी। जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से नहीं हो सकेगी। वादी अपने जायज हक हकूक व भूमि से वंचित हो जावेगा तथा रान के मध्य कई तरह के मुकदमे होकर वादी बर्बाद हो जावेगा। इसलिये दीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना आवश्यक है कि वे वादी के काश्त में बाधा उत्पन्न न करे, बिना भूमि का तकास्मा हुये भूमि को रहन, बय न फसल बोते व काटते समय व प्राकृतिक उपज प्राप्त करते समय किसी प्रकार की उत्पन्न न करे। वादी के हिस्से में बने खाम व पुख्ता निर्माण में किसी भी प्रकार

की दखलान्दाजी न करे इसलिये दावा स्थाई निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है। तकास्मा के दावे में प्रतिवादीगण सं. 10 भूमिधारी तहसीलदार बांदीकुई आवश्यक पक्षकार होने के कारण पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। जमाबन्दी में वर्णित बीला पुत्री भरत्या की मृत्यु हो गई है। जिसके प्रतिवादीगण सं. 03 लगायत 36 वैध प्रतिनिधि व उत्तराधिकारी होने से पक्षकार प्रतिवादीगण बनाया है। बिनाय दावा व विनाय मुखास्मत दिनांक 04.12.2023 को वादी के हिस्से की भूमि पर जबरन घुस कर कब्जा करने की धमकी देने से मारपीट करने पर आमादा होने से व प्रतिवादीगण के द्वारा भूमि का तकास्मा कराने की इंकारी करने व भूमि को किसी दीगर शख्स को बेचान करने की एलानियां धमकी देने से अंदर हदूद न्यायालय हाजा पैदा हुई है। इसलिये न्यायालय हाजा को वाद सुनने का अधिकार है तथा दावा अंदर मियाद पेश है। अतएव वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र वादी वरखिलाफ प्रतिवादीगण निम्न इस्तदुआ स्वीकार करते हुए डिकी पारित फरमाई जावे कि–

ग्राम नांगवास पटवार अरनिया तहसील बांदीकुई जिला दौसा में भूमि काश्त स्थित खाता सं. नया 96 पुराना 81 के खसरा नं. 121 रकबा 0.02 हैक्टे. चाही 2 जाव 2, खसरा नं. 122 रकबा 0.23 हैक्टे. चाही 2 जाव 2, खसरा नं. 126 रकबा 0.19 हैक्टे, चाही 2 जाव 2, खसरा नं. 127 रकबा 0.21 हैक्टे, बारानी 1, खसरा नं. 134 रकबा 0.04 हैक्टे. बारानी 1, खसरा नं. 135 रकबा 0.29 हैक्टे, बारानी 1, खसरा नं. 136 रकबा 0.15 हैक्टे. गै. मु. चाह, खसरा नं. 137 रकबा 0.08 हैक्टे. गै. मु. रास्ता, खसरा नं. 139 रकबा 0.32 हैक्टे, चाही 2 जाव 2, खसरा नं. 140 रकबा 0.15 हैक्टे, चाही 2 जाव 2, खसरा नं. 141 रकबा 0.15 हैक्टे. चाही 2 जाव 2, खसरा नं. 142 रकबा 0.22 हैक्टे. चाही 2 जाव 2, खसरा नं. 143 रकबा 0.22 हैक्टे. बारानी 1, खसरा नं. 144 रकबा 0.41 हैक्टे. चाही 2 जाद 2, खसरा नं. 145 रकबा 0.09 हैक्टे, बारानी 1 कुल किता 15 कुल रकबा 2.95 हैक्टे. लगानी 51 रूपये ०० पैसे स्थित है जिसमें वादी व प्रतिवादीगण सहखातेदार काश्तकार है, पक्षकारान में विधिवत कब्जा व रास्ते तथा आवागमन को ध्यान में रखते हुए सरस नरस बंटवारा किया जाकर वादी को उसके हिस्से की भूमि पर वास्तविक कब्जा करवाया जावे तथा लगान का बंटवारा किया जाकर राजस्व अभिलेख में वादी के नाम पृथक पर्चा बनाया जाकर अलग–अलग पासबुक जारी की जावें। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस अमर से प्रतिबंधित किया जावें कि वे स्वयं, उनके परिवारजन, नौकर, एजेन्ट, मददगारान भूमि मुतदाविया वर्णित पैरा सं. 01 वादपत्र में स्थित ग्राम नांगवास तहसील बांदीकुई जिला दौसा में वादी के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की मजाहमत पैदा करने से किसी प्रकार की दखलान्दाजी करने से फसल बोते व काटते समय विवाद करने से तथा प्राकृतिक उपज प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करे, भूमि को किसी दीगर सख्स को रहन, बय ना करें मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिये पाबंद रहे। खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावें। अन्य दादरसी जो करीने इंसाफ बहक वादी हो, अता फरमाई जावें।

दावा दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण जर्ये रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस विधिवत की गई। प्रतिवादी सं. 1 लगायत 9 की ओर से एड. श्री सम्पतराम जांगिड ने पावर पेश की एवं जबाब दावा पेश किया कि वाद पत्र का पैरा नंबर 1, 2, 3 स्वीकार है।

Scanned with OKEN Scanner

वाद पत्र का पैरा नं. 04 जिस प्रकार वर्णित है स्वीकार नही है। वादी अपने हक अधिकार व कब्जे की भूमि पर काबिज है तथा अपने हिस्से पर बाउन्ड्री कर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। मिन प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 04.12.2023 को या अन्य किसी तारीख को वादी के साथ कोई झगडा फिसाद नही किया ना ही किसी प्रकार का कोई कब्जा करने का प्रयास किया। कया। वादी को किसी प्रकार को कोई वाद हेतुक उत्पन्न नही होता है। वाद पत्र का पैरा नं. 05 स्वीकार है। वादी व प्रतिवादीगण ने भूमि वादग्रस्त का बहामी बंटवारा कर अपने–अपने हिस्से पर काबिज है तथा उसी हिस्से अनुसार पक्षकारान का तकास्मा किया जाता है तो उसमें हमे कोई एतराज नही है। पक्षकारान का मुताबिक बहामी बंटवारा अनुसार सरस–नरस मुताबिक कब्जा विधिक बंटवारा किये जाने में हम प्रतिवादीगण की पूर्ण सहमति है। वाद पत्र का पैरा नं. 06 गलत है स्वीकार नही है। सहखातेदारान के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा कानूनन पोषणीय नही है। वाद पत्र का पैरा नं. 07 कानूनी है जवाब मोहताज नही है।वाद पत्र का पैरा नं. 08 स्वीकार है। वाद पत्र का पैरा नं. 09 अस्वीकार है। मिन प्रतिवादीगण ने वादी के हिस्से में महाजमत पैदा करने या झगडा फिसाद करने का कभी कोई प्रयास नहीं किया। समस्त कथन कतई गलत व मनगढन्त है। वाद पत्र का पैरा नं. 10 कानूनी है जवाब मोहताज नही है। वाद पत्र का पैरा नं. 11 कानूनी है जवाब मोहताज नही है। अनुतोष का पैरा सं. अ, स्वीकार है। बाकी अस्वीकार है। अतः जवाब दावा मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद, मुताबिक बहामी बंटवारा अनुसार सरस–नरस यथा सम्भव कब्जे अनुसार रास्ता व आवागमन को देखते हुए विधिवत बंटवारा किया जाता है तो उसमें मिन प्रतिवादीगण को कोई उज्ज व एतराज नहीं है। वकील उभयपक्ष द्वारा वाद को प्राथमिक डिक्री किये जाने बाबत निवेदन करने एवं सहमति प्रकट करने के आधार पर न्यायालय हाजा द्वारा वादी वाद दिनांक 6.12.2024 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार बॉदीकुई को कुरैजात प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार बॉदीकुई के पत्र कमांकः 8695 दिनांकः 20.08.2025 द्वारा कुरैजात प्रस्ताव प्राप्त होकर शामिल पत्रावली किये गये। तहसीलदार बॉदीकुई से प्राप्त कुरैजात प्रस्ताव का उभयपक्ष वकील द्वारा अवलोकन किया गया।वकील उभयपक्ष द्वारा बहस की गयी एवं प्राप्त कुरैजात अनुसार वाद को अंतिम डिक्री किये जाने बाबत निवेदन किया।

हमने वकील उभयपक्ष बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं तहसीलदार बॉदीकुई से प्राप्त कुर्रेजात का अवलोकन किया। कुर्रेजात अवलोकन से प्रकट है कि प्राप्त कुरैजात तहसीलदार (भू.अ.) बॉदीकुई द्वारा पक्षकारों को विधिवत सूचित कर मौके पर बरूये राजस्व रिकार्ड के बनाया जाना प्रकट होने से प्राप्त कुरैजात स्वीकार किये जाकर वादीगण वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी वाद तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर प्राप्त कुरैजात अनुसार निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है–

Scanned with OKEN Scanner

	प्रस्तावित कुरैजात अनुसार इन्द्राज				
क्र. सं.	नाम ग्राम	नाम खातेदार	ख.नं.	रकबा	किस्म
1	नांगवास	हुकमचंद अग्रवाल पुत्र किशोरीलाल अग्रवाल हि. पूर्ण जाति महाजन सा मकान नं. 3 लक्ष्मीनारायण मंदिर परिसर लक्ष्मीनारायणपुरी कॉलोनी जयपुर खातेदार	140	0.15	जाव 2, चाही 2
			141	0.15	जाव 2, चाही 2
			139/1	0.2933	जाव 2, चाही 2
			142/1	0.13	चाही 2
			143/1	0.18	बारानी 1
			137	0.08	गै. मु. रास्ता
			किता 6	**0.9833**	
		अर्जुन पुत्र भरत्या हि. 1/6, बीला पुत्री भरत्या हि. 1/12, गंगाबिशन पुत्र ईसरा हि. 1/4, रामकिशन पुत्र भौरया हि. 1/4, विजयसिंह पुत्र मेवाराम हि. 1/8 हाकिम सिंह पुत्र मेवाराम हि. 1/8 समस्त जाति गुर्जर सा. देह खातेदार	121	0.20	चाही 2 जाव 2
			122	0.23	जाव 2 चाही 2
			126	0.19	जाव 2 चाही 2
			127	0.21	बारानी 1
			134	0.04	बारानी 1
			135	0.29	बारानी 1
			136	0.15	गै. मु. चाह
			144	0.41	चाही 2
			139/2	0.0267	चाही 2
			142/2	0.09	जाव 2 चाही 2
			143/2	0.04	बारानी 1
			145	0.09	बारानी 1
			किता 12	**1.9667**	

कुरैजात, निर्णय व डिकी का भाग रहेगा। अंतिम डिकी जारी हो। तहसीलदार बॉदीकुई तदानुसार राजस्व रिकार्ड में विधिवत अमल दरामद करना सुनिश्चित करे।साथ ही प्रतिवादीगण

४५६—

Scanned with OKEN Scanner

को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की मजाहमत न करें।पालना हेतु तहसीलदार बॉदीकुई को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा निर्णय आज दिनांक: 25.09.2025 को लिखा एवं सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

निर्णय सुनाया गया।

25/9/25

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
बॉदीकुई

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)